

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 178 / 11-सी-FP/UP/Road/52116/2020, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 22, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
बुन्देलखण्ड वृत्त,  
झांसी।

विषय:- जनपद-झांसी में झांसी-बबीना-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-26 (नया एन०एच०-44) के किमी० सं०-0.0 से 3.0 तक चौड़ीकरण/फोरलेन में प्रभावित 4.20 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 344 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1998/33-1, दिनांक 20.01.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में संलग्न किया DSS Analysis प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।
2. प्रस्तावित वनभूमि का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित श्वेत श्याम वर्ण का Geo Refferenced Digital Map संलग्न है जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित रंगीन Geo Refferenced Digital Map मूल में संलग्न करें।
3. पावर ऑफ एर्टोनी/ऑथारिटी पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
4. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है।
5. प्रस्ताव में संलग्न किया गया त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट-1 प्रस्ताव से पृथक करते हुये संशोधित ऑनलाइन पार्ट-1 प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 178 / 11-सी-FP/UP/Road/52116/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग, झांसी।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।